भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 804

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हर घर नल से जल योजना के तहत शिकायतें

†804. श्री बापी हलदरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई गांवों को नल कनेक्शन होने के बावजूद निर्बाध जल आपूर्ति न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत 'हर घर नल से जल' पहल के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त मिशन के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार अगस्त 2019 से, देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागेदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है। जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 2.68 लाख से अधिक गांवों को हर घर जल गांवों के रूप में सूचित किया गया है अर्थात् इन गांवों के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास नल जल कनेक्शन है। इसके अलावा, सभी ग्रामीण पारिवारों हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए शेष गांवों में पाइपगत जलापूर्ति का कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख): जल राज्य का विषय है और इसलिए ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन और संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। इस प्रकार, सवालों/शिकायतों आदि, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ,* जेजेएम के तहत खराब नलों और अपर्याप्त जल आपूर्ति संबंधी समस्याओं पर कार्रवाई और उनका निपटान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाता है। जब कभी इस विभाग में ऐसी शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। इसके अलावा, नागरिक भारत सरकार के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों को भेज दिया जाता है। नल जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का जिला-वार विवरण राज्य स्तर पर रखा जाता है।

(ग): जेजेएम के तहत पिछले पांच वर्षो (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के दौरान जारी धनराशि का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 804 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जेजेएम के तहत जारी की गई धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.46	2.06	2.16	3.76	0.45
2	आंध्र प्रदेश	297.62	791.06	-	793.57	70.00
3	अरुणाचल प्रदेश	344.85	1,555.53	1,116.35	771.21	108.91
4	असम	551.77	4,200.87	4,588.21	6,204.00	2,159.63
5	बिहार	353.60	-	-	-	-
6	छत्तीसगढ़	334.14	477.24	2,223.98	2,885.56	191.59
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	-	-	-	-	-
8	गोवा	6.20	22.77	-	11.25	0.65
9	गुजरात	983.08	2,557.96	3,590.16	2,237.14	59.00
10	हरियाणा	72.38	559.98	463.00	526.72	-
11	हिमाचल प्रदेश	547.48	2,012.78	1,344.94	402.34	137.48
12	जम्मू एवं कश्मीर	53.72	604.18	1,439.50	3,267.12	693.86
13	झारखंड	143.06	512.22	2,119.14	2,875.35	70.00
14	कर्नाटक	446.36	2,504.40	2,725.93	4,966.62	570.66
15	केरल	303.18	1,353.44	2,206.54	671.18	974.68
16	लद्दाख	-	340.68	382.76	131.07	187.43
17	लक्षद्वीप	-	-	9.25	19.82	0.56
18	मध्य प्रदेश	960.09	3,837.59	2,820.51	5,419.90	2,622.35
19	महाराष्ट्र	457.23	1,666.64	3,915.62	7,444.26	1,605.88
20	मणिपुर	141.80	601.19	256.03	-	-
21	मेघालय	184.92	1,078.39	1,047.00	1,500.00	405.65
22	मिजोरम	104.30	303.89	448.58	303.10	13.52
23	नागालैंड	85.57	333.61	484.28	314.90	19.87
24	ओडिशा	609.11	2,492.56	1,768.73	2,108.54	368.39
25	पुदुचेरी	1.06	7.47	-	1.00	3.77
26	पंजाब	-	402.24	-	119.76	50.00
27	राजस्थान	630.51	2,345.08	6,081.80	250.00	1,659.22
28	सिक्किम	39.36	194.79	188.92	251.61	62.25
29	तमिलनाडु	690.36	614.35	872.96	2,617.10	731.67
30	तेलंगाना	82.71	-	-	-	-
31	त्रिपुरा	117.46	714.09	849.91	744.18	368.38
32	उत्तर प्रदेश	1,295.47	5,435.25	9,496.54	16,947.00	6,310.98
33	उत्तराखंड	271.93	1,082.85	1,209.38	1,890.66	568.40
34	पश्चिम बंगाल	807.08	1,404.61	3,090.12	4,206.29	2,524.99
कुल		**10,917.86**	**40,009.77**	**54,742.30**	**69,885.01**	**22,540.22**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

*****